

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड  
कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648  
पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002  
टेलीफोन 0144-2330332  
ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की दसवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 27 सितम्बर 2025 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम नं. 8, अलवर, राजस्थान-301001 पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है :

1. 31 मार्च 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2025 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न) लाभांश (पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना- :

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 7 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 1811949 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 1,26,83,643 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च 2025 को सदस्याओं के रजिस्टर में उलिखित हैं।

3. श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास- बी का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (वर्ग-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

**4. श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (वर्ग-बी का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

**5. श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।**

" संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152और कंपनी अधिनियम, 2013के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में योग्य उम्मीदवार नही होने के कारण भरी नहीं जा सकती है।"

**6. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

**"संकल्प किया गया कि,** कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXI-A** के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा **378H, 378ZQ, 378ZR** और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमो एवं बहिर्नियमो के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 250000000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) 2500000 इक्किटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) से 300000000/- (तीस करोड़ रुपये) 30,00,000 (तीस लाख (इक्किटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) के अतिरिक्त 500000 (पांच लाख) रु.100/- (रुपये एक सौ प्रत्येक) के इक्किटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है।

**"आगे यह संकल्प लिया गया है कि,** कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज **VI** को निम्नलिखित नए क्लॉज **VI** से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 300000000 रुपये है। (तीस करोड़ रुपये जो कि 100/- रुपये के (एक सौ रुपये) 3000000 (तीस लाख) इक्किटी शेयरों में विभाजित है।"

**आगे संकल्प किया गया है कि,** इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

**7. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

**"संकल्प लिया गया कि** कंपनी के अंतर्नियमो और बहिर्नियमो के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो) इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित (के अनुसार, कंपनी के सदस्यों को बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों को सामान्य आरक्षित निधि के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अनुमोदन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही शुरू करने और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा अलग-अलग अधिकृत किया जाता है।”

8. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग **xxi-a** के लागू प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378 -I, धारा 14, और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के अनुसरण में, और इस संबंध में पहले पारित किसी भी संकल्प के स्थान पर, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i सखी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड”) कंपनी (“का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक” नामांकन समिति) “एनसी (का गठन करेगा, जो बोर्ड को 'कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगी।

ii बोर्ड में उत्पादक निदेशकों) वर्ग ए या वर्ग बी या वर्ग सी श्रेणी के अंतर्गत (की रिक्ति की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना) जितनी संख्या में पदों को भरने के लिए (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या (कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल आईडी पर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/मोड के माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजकर, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है, सूचना दी जाएगी।

iii बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।

iv 'नामांकन समिति' पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक के पात्रता अंक' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% or more days - 30 ; 85% to <95% days - 20 ; 75% to <85% - 15 ; 65% to <75% - 10 ; 55% to <65% - 5 ; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की गई है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाए रखना @ प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
महिलाओं के लिए 12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक	15
प्रशिक्षण में भाग लिया -(सदस्य प्रशिक्षण) 5 अंक (वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण) 5 अंक (एलडीपी) नेतृत्व विकास कार्यक्रम/ (निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम) 10 अंक	20
<b>कुल</b>	<b>100</b>

v बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-:

i उस सदस्यता वर्ग से बोर्ड का एक उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य अर्हता प्राप्त करते हैं, तो आपस में किसी समझौते के अभाव में, लॉटरी के माध्यम से एक एनसी सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;

ii एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में हो; और

iii किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्था से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

vi 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तारीख तक होगा।

vii बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

**इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

**9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।**

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

**निदेशक मंडल के आदेश से**

**स्थान:** अलवर

रचना देवधर गोयल

**दिनांक:** 29.08.2025

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

## टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
9. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

10. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए आसान स्थान के लिए प्रमुख लैंडमार्क के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

आगामी आम सभा में नियुक्त/ पुनः नियुक्त होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4) (c) एवं आम सभा पर सचिवीय मानको के अनुरूप)

आइटम संख्या 3, 4

बोर्ड ने नामांकन समीति की अनुशंषा पर श्रीमती सावित्री यादव एवं श्रीमती बबिता को कंपनी के निदेशक नियुक्त/पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है | जिनका विवरण निम्न अनुसार है :-

नाम	श्रीमती सावित्री यादव	श्रीमती बबिता
उम्र	23	29
शैक्षणिक योग्यता	सीनियर सेकेंडरी	स्नातक
व्यवसाय	पशुपालन और डेयरी	पशुपालन और डेयरी
अनुभव	पशुपालन का सात वर्षों का अनुभव	पशुपालन का दस वर्षों का अनुभव
नियुक्ति की नियम एवं शर्तें	गैर कार्यकारी निदेशक चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त	गैर कार्यकारी निदेशक चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति	दसवी आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	19.07.2022
गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों के भाग लेने की संख्या	शून्य	9
धारित अंशों की संख्या	154	99
अन्य निदेशकों एवं के एम पी के साथ सम्बन्ध	कोई सम्बन्ध नहीं	कोई सम्बन्ध नहीं
बोर्ड की समीति की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

रचना देवधर गोयल

दिनांक: 29.08.2025

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

## व्याख्यात्मक कथन

### सूचना की मद संख्या 6 से सम्बंधित

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी रु.25,00,000,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) है, और इसकी जारी, सदस्यता और चुकता शेयर पूंजी रु. 18.12 करोड़ (अठारह करोड़ बारह लाख रुपये) है। अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी को 30 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 30 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) करने का प्रस्ताव है। और उस प्रयोजन के लिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि साथ में नोटिस के मद संख्या 6 में संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में बदलाव के लिए सदस्याओं की मंजूरी लेने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

## व्याख्यात्मक कथन

### सूचना की मद संख्या 7 से सम्बंधित

एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सेवाओं (एनडीएस) के माध्यम से एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित या भविष्य में प्रवर्तित किए जाने वाले दुग्ध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन में सहायता कर रही है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत होगी। इस समिति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके, और सरकारी निकायों के साथ सहयोग तथा सहकारी सिद्धांतों के पालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूँकि सखी एमपीओ के उद्देश्य और गतिविधियाँ इस शीर्ष सहकारी समिति के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सखी एमपीओ, सामान्य आरक्षित निधि के 30% तक की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता लेकर उक्त शीर्ष सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का बन सकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

## व्याख्यात्मक कथन

### सूचना की मद संख्या 8 से सम्बंधित

कंपनी की "नामांकन समिति" के मौजूदा दिशानिर्देशों में "नामांकन समिति" के प्रावधानों को समझने और उनके क्रियान्वयन में बेहतर स्पष्टता लाने के लिए कुछ बदलाव आवश्यक हैं।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6; 9.18 ii.k.; और 11.11 vii के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड में सदस्यों के वर्ग के प्रतिनिधित्व, निदेशकों के चुनाव, निदेशकों के पद के लिए सिफारिश आदि से संबंधित हैं, बोर्ड द्वारा एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन आवश्यक है।

इसके अलावा, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.11 की आवश्यकता के अनुसार, "नामांकन समिति" के गठन के दिशानिर्देशों के लिए कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में पारित एक साधारण प्रस्ताव द्वारा सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

बोर्ड द्वारा "नामांकन समिति" (एनसी) के गठन, एनसी के गठन के लिए दिशानिर्देशों के अनुमोदन और निदेशक पद के नामांकन के लिए मानदंड तैयार करने हेतु सदस्यों का अनुमोदन।

इसलिए, यह आवश्यक और उचित है कि निदेशक पद के लिए पात्रता मानदंड सहित "नामांकन समिति" के गठन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएं, जैसा कि नामांकन समिति के साधारण प्रस्ताव के मसौदे में विस्तृत है और आने वाले समय के लिए बोर्ड को पात्र सदस्यों की सिफारिश की जाए।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का नौवीं वार्षिक आम सभा का कार्यवृत्त

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की नौवीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त जो कि मंगलवार, दिनांक 24 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:15 बजे, प्रताप ओडिटोरियम, स्कीम न. 8, अलवर, राजस्थान-301001 पर दोपहर 1:15 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:15 बजे समाप्त हुई।

उपस्थित:

1.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती ललिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती सुमन कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती पूनम देवी	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
7.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
8.	श्री सौरभ जैन	:	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती पिकी शर्मा ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद निर्वहन किया और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री सौरभ जैन ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 19,627 इक्विटी शेयर रखने वाले 234 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से एवं 7,20,282 इक्विटी शेयर रखने वाले 26,502 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से सभा में उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम 26,736 सदस्यों का है।

सी. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि सभा में आवश्यक कोरम मौजूद है।

डी. उन्होंने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और निदेशक की अंशधारिता रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इस प्रकार ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. अध्यक्ष ने कंपनी की नौवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, विजन और मिशन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एफ. उपस्थित सदस्यों की सर्व सहमति से, नौवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, जो सदस्यों को पहले ही वितरित की जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

जी. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

सदस्याओं को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को नौवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव ने बैठक के एजेंडा मदों को एक-एक करके लिया:

1. **31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि, खाता तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।**
- 1.1 श्रीमती सूरज बाई (फोलियो संख्या: 3076) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 01/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च 2024 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती शहनाज (फोलियो नं.: 56532) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।**

- 2.1 श्रीमती राजबाला (फोलियो संख्या: 3302) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 02/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 9,20,754 समता अंशों पर रू. 73,66,032 (तिहेतर लाख छियासठ हजार

बत्तीस रुपये मात्र) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती जरसीदा (फोलियो नं.: 43424) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती कौशल्या देवी (डीआईएन 08961621) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सविता देवी (डीआईएन 10762144) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए ।

- 3.1 श्रीमती चमेली शर्मा (फोलियो संख्या: 4153) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 03/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती कौशल्या देवी (डीआईएन 08961621) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अयोग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सविता कुमारी (डीआईएन 10762144) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती बबीता देवी (फोलियो नं.: 60469) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन 09312203) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सुमन कुमारी (डीआईएन 10762302) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए ।

- 4.1 श्रीमती ओमी देवी (फोलियो संख्या: 9895) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 04/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन 09312203) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अयोग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सुमन कुमारी (डीआईएन 10762302) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती ममता देवी (फोलियो नं.: 9911) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती सरोज देवी (डीआईएन 10762476) (क्लास-ए का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

5.1 श्रीमती मुनेश (फोलियो संख्या: 27279) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 05/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152, 161, 378पी के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो श्रीमती सरोज देवी (डीआईएन 10762476) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है । जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती अनीता कुमारी (फोलियो नं.: 23704) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती दया शर्मा (डीआईएन 10762534) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

6.1 श्रीमती संजू देवी (फोलियो संख्या: 26585) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 05/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152, 161, 378पी के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो श्रीमती दया शर्मा (डीआईएन 10762534) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है । जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती पूनम (फोलियो नं.: 30148) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. श्रीमती गायत्री सिहाग (डीआईएन 10762543) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

7.1 श्रीमती कंचन कुमारी (फोलियो संख्या: 67287) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 07/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152, 161, 378पी के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो श्रीमती गायत्री सिहाग (डीआईएन 10762543) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है । जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती पूजा कँवर (फोलियो नं.: 57394) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

8.1 श्रीमती अंजना देवी (फोलियो संख्या: 63821) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 08/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXI-A** के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा **378H, 378ZQ, 378ZR** और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी **13,00,00,000/-** (केवल तेरह करोड़ रुपये) **13,00,000** इक्विटी शेयरों में विभाजित **100/-** (एक सौ रुपये) प्रत्येक से **25,00,00,000/-** (पच्चीस करोड़ रुपये) **25,00,000** (पच्चीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित **100/-** (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त **12,00,000** (बारह लाख) **रु.100/-** (रुपये एक सौ) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज **VI** को निम्नलिखित नए क्लॉज **VI** से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी **25,00,00,000** रुपये है। (पच्चीस करोड़ रुपये) जो कि **100/-** रुपये के (एक सौ रुपये) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों में विभाजित है ।"

**आगे संकल्प किया गया है कि,** इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं ।

श्रीमती मंजू देवी (फोलियो नं.: 50780) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## **9. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकेंडमेंट समझौते पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

9.1 श्रीमती सुषमा देवी (फोलियो संख्या: 51122) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 09/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू है), कंपनी के सदस्यों की मंजूरी कंपनी को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और सेकेंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन का अनुसमर्थन करने और लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और/या जारी रखने सेकेंडमेंट व्यवस्था के लिए दी जाती है।

**आगे संकल्प लिया गया कि** कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए सामान्य बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

**आगे संकल्प लिया गया कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमती अन्नू पूनिया (फोलियो नं.: 62082) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## **10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और मंजूरी देना।**

10.1 श्रीमती गीता देवी (फोलियो संख्या: 55890) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 10/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः

अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू है), कंपनी के सदस्यों की मंजूरी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ दिनांक 05 अप्रैल, 2024 से दूध की आपूर्ति के लिए आपूर्ति समझौते किसी भी संशोधन, संशोधन सहित, विस्तार लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/ समझौते के लिए प्रदान की जाती है।

**आगे संकल्प लिया गया कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

श्रीमती मणी देवी (फोलियो नं.: 73056) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## **11. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।**

11.1 श्रीमती मिथलेश (फोलियो नंबर: 48471) ने सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 11/9<sup>TH</sup> AGM: 24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती उषा कुमारी (फोलियो संख्या: 48492) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**12. बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।**

बैठक का कार्यवृत्त: 04.10.2024 को दर्ज किया गया

दिनांक: 04.10.2024

अध्यक्षा

स्थान : अलवर

**सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट**

आयगत बजट					
क्रम	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्त वर्ष 24-25	आउटलुक वित्त वर्ष 24-25	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 25-26
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	480,589	393,244	557,127
(II)	दूध परिचालन से आय	(लाख रूपये में)	84,213.03	66,725.92	111,277.00
(III)	खरीद मूल्य	(लाख रूपये में)	73,424.23	58,766.92	98,099.38
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रूपये में)	2,009.68	963.47	2,088.54
(V)	लोजिस्टिक लागत	(लाख रूपये में)	2,057.47	1,857.77	5,354.96
(VI)	अन्य दूध परिचालन लागत	(लाख रूपये में)	2,575.57	2,375.03	3,553.79
(VII)	विक्रय एवं विपणन खर्चे	(लाख रूपये में)	-	-	6.00
(VIII)	स्थायी लागत	(लाख रूपये में)	1,541.79	1,134.81	1,631.44
	<b>दूध परिचालन से लाभ / (हानि)</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>2,604.28</b>	<b>1,627.91</b>	<b>542.88</b>
(IX)	अनुदान सहायता-दूध परिचालन	(लाख रूपये में)	172.24	128.64	(12.66)
<b>(X)</b>	<b>अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ / (हानि)</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>2,776.53</b>	<b>1,756.56</b>	<b>530.22</b>
(XI)	पीइएस क्रियाओं के लिए आयगत खर्चे	(लाख रूपये में)	317.47	101.65	398.27
(XII)	पीइएस परिचालन से घाटा	(लाख रूपये में)	(317.47)	(101.65)	(398.27)
(XIII)	अनुदान सहायता- पीइएस परिचालन	(लाख रूपये में)	93.57	16.02	126.63
XIV	पीइएस क्रियाओ से लाभ हानि	(लाख रूपये में)	(223.90)	(85.63)	(271.64)
XV	बायो गैस प्लांट इंसेंटिव से आय	(लाख रूपये में)	-	-	14.00
XVI	धानी से अनुदान सहायता - खुदरा विपणन	(लाख रूपये में)	-	-	-
XVII	अन्य आय	(लाख रूपये में)	265.91	514.41	240.46
<b>XVIII</b>	<b>कर पूर्व लाभ / (हानि)</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>2,646.29</b>	<b>2,056.70</b>	<b>513.04</b>

पूजीगत बजट					
क्रम	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्त वर्ष 24-25	आउटलुक वित्त वर्ष 24-25	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 25-26
A	दूध परिचालन				
(I)	एमपीपी सेट अप लागत	(लाख रूपये में)	-	-	33.08
(II)	केन्स	(लाख रूपये में)	45.00	39.74	119.07
(III)	बीएमसी	(लाख रूपये में)	-	-	-
(IV)	एचओ सेटअप	(लाख रूपये में)	3.00	-	5.00
(V)	आईसीटी	(लाख रूपये में)	21.70	3.89	152.96
(VI)	डीपीएमसीयू	(लाख रूपये में)	66.00	59.40	759.62
(VII)	बीएमसी ऐसीसीरिज	(लाख रूपये में)	6.00	2.38	168.47
(VIII)	एएमसीयु	(लाख रूपये में)	-	-	11.58
(IX)	मार्केटिंग प्लान सेटअप	(लाख रूपये में)	-	-	224.10
	<b>केपेक्स- दूध परिचालन</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>1,473.87</b>
(X)	अनुदान सहायता केपेक्स- दूध परिचालन	(लाख रूपये में)			688.91
	<b>स्वयं के फंड से केपेक्स</b>	(लाख रूपये में)	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>784.96</b>

I	कुल केपेक्स	(लाख रूपये में)	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>1,473.87</b>
II	कुल केपेक्स अनुदान	(लाख रूपये में)	-	-	688.91
III	<b>स्वयं के फंड से केपेक्स</b>	(लाख रूपये में)	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>784.96</b>

**सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**  
**कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648**  
**पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002**  
**टेलीफोन 0144-2330332**  
**ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com**  
**फॉर्म संख्या एमजीटी-11**  
**प्रतिनिधि फॉर्म**  
**[कंपनी अधिनियम की धारा 105(6) और (कंपनी प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुशरण में]**

सदस्या का नाम	
पता	
इ मेल	
फोलियो संख्या	
सदस्यता कोड	

मै/हम .....ऊपर लिखित कंपनी के अंशो की सदस्या होते हुए एतदद्वारा

- नाम.....  
ई-मेल.....  
फोलियो.....  
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में
- नाम.....  
ई-मेल.....  
फोलियो.....  
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में
- नाम.....  
ई-मेल.....  
फोलियो.....  
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में

को कंपनी की शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर 2025 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न.- 8, अलवर (राज.)-301001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली दशवी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ ।

क्रम स.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			

3	श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
4	श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (क्लास -बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
5	श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
6	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना ।			
7	एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			
8	निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
9	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।			

दिनांक .....सितम्बर 2025 को हस्ताक्षर किये गए ।

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी की सदस्यता होना अनिवार्य है ।

रूपये	एक
का	रेवेन्यु
टिकट	लगाये

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड  
कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648  
पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002  
टेलीफोन 0144-2330332  
ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

### प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या 

--	--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....  
.....

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्या हूँ । मैंने कंपनी द्वारा भेजी गयी दसवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको सहित प्राप्त कर लिया है ।

सदस्या के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....

